

फा.सं. 1 /86(27) /2020-भर्ती -I

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती-1 अनुभाग

पद का नाम:	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सफदरगंज अस्पताल में सहायक नैदानिक भ्रूणविज्ञानी के 01-यूआर पद पर भर्ती
विज्ञापन संख्या: 17/2020, पद संख्या: 04	
रिक्ति संख्या	20121704126
साक्षात्कार की तिथि	बाद में घोषित किया जाएगा

तौर-तरीके

(ए) ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा भरी गई जानकारी और ओआरए के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों /प्रमाण पत्र के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा उत्पन्न जांच रिपोर्ट के आधार पर जांच की गई है।

(बी) निजी अस्पतालों में अनुभव वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है क्योंकि यह स्थापित नहीं किया जा सकता है कि संबंधित अस्पताल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पताल है।

© अंशकालिक/प्रति घंटा के आधार पर/दैनिक वेतन/विजिटिंग/अतिथि संकाय/प्रशिक्षु/प्रशिक्षु/सलाहकार/मानद/स्वरोजगार और वजीफा के रूप में प्राप्त अनुभव की गणना अनुभव की गणना के दौरान नहीं की गई है। संबंधित विभाग में अनुबंध के आधार पर अनुभव पर विचार किया गया है।

यूआर श्रेणियों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग मानदंड: ईक्यू (i) या, ईक्यू (ii) + ईक्यू (iii)।

अपनाए गए तौर-तरीकों के आधार पर, ऑनलाइन भर्ती आवेदन के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों / प्रमाणपत्रों की जांच की गई और साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए निम्नलिखित आवेदकों को शॉर्ट-लिस्ट किया गया है।

वर्ग	लघु सूचीबद्ध आवेदक
अनारक्षित	अनुक्रमांक; 15, 17 & 32 = 03 उम्मीदवार

➤ निम्नलिखित आवेदकों को खारिज कर दिया गया है:

श्रेणी / अस्वीकृति का कारण	अनुक्रमांक:
इ- मेल के सन्दर्भ में मांगे गए दस्तावेजों का न देना	अनुक्रमांक; 02 & 08 = 02 उम्मीदवार
EQ का अभाव (i)	अनुक्रमांक; 01, 09, 11, 13, 16, 18, 20, 23, 25, 27, 28, 29 & 34 = 13 उम्मीदवार
EQ का अभाव (ii)	अनुक्रमांक; 03 = 01 उम्मीदवार
EQ की कमी (iii)	अनुक्रमांक; 04, 06, 14, 31, 35, 02, 05, 07, 10, 12, 22, 24, 26, 30 & 33 = 15 उम्मीदवार
अधिक उम्र का	अनुक्रमांक; 19 = 01 उम्मीदवार

➤ आवेदकों की सूची अनुबंध 'A' में है।

(परिमल ठाकुर)

उप सचिव/ कंसल्टेंट

संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों के लिए निर्देश

वे उम्मीदवार जो पद पर भर्ती हेतु शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपनाए गए मानदंडों के अनुसार उनके आवेदन अस्वीकृत होने के अनुसरण में अभ्यावेदन करने के करने की इच्छा रखते हैं, वे दिनांक 20.06.2022 तक उचित आधार/ कारणों के साथ मेल द्वारा अभ्यावेदन (sort1.upsc@nic.in) प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त तारीख के पश्चात प्रस्तुत ई-मेल पर विचार नहीं किया जाएगा। इस तरह के ई-मेल के साथ कोई भी दस्तावेज जमा नहीं करने है। फिर भी यदि प्रस्तुत किए जाते हैं तो न तो उन्हें खोला जाएगा, और न ही उन पर विचार या कारवाई की जाएगी। सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी भी मामले में, उनमें दर्शाए गए आधार/ कारण अपनाए गए मानदंडों के अनुसार सही पाए जाते हैं तो ऐसे आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अन्य को अस्वीकृत रखा जाएगा। इसके पश्चात, यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण इसके स्थान पर अपलोड किए जाएंगे। इन ई-मेल में से किसी भी ई-मेल का अलग से जवाब नहीं दिया जाएगा।